"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2018 —— माघ 12, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2017/रास/यू.-13. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानानुसार दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.) में कुलपति की नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

1.	श्री विवेक ढाँड पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA), रायपुर	-	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित.
2.	डॉ. अरूण टी. दाबके पूर्व कुलपति, छत्तीसगढ़ आयुष एवं हेल्थ साईंस विश्वविद्यालय, रायपुर	-	कार्य-परिषद् द्वारा निर्वाचित.
3.	प्रोफेसर रामसिंह डी. एस. ई., दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007	-	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित.

2. माननीय कुलाधिपति द्वारा श्री विवेक ढाँड को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त गठित समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (5) के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को कुलपति की नियुक्ति हेतु एक पेनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.